रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]	दिल्ली, बृहपतिवार, सितम्बर 21, 2017/भाद्र 30, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 266
No. 357]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017/BHADRA 30, 1939	[N.C.T.D. No. 266

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 सितम्बर, 2017

फा. सं. आर. 117/सी. ओ. टी./डब्ल्यू. एफ. डी./16–17/4459–67.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 8 लेन एन.एच.-44, मुकरबा चोक से दिल्ली बॉर्डर, नई दिल्ली के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 31.163 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट.)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
8 लेन एन.एच.-44, मुकरबा चोक से दिल्ली बॉर्डर, नई दिल्ली ।	31.163 (लगभग)	1952	19520 (पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा)
	कुल योग	1952	19520

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है :

(क) आवेदक का सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 11,12,64,000/–रूपये (ग्यारह करोड़ बारह लाख चौसठ हज़ार रूपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	100 % (19520) पौधों का उपभोगी संस्था की ओर से पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा यमुना फ्लड प्लेन्स (यमुना	19520	रू– 11,12,64,000 /–	उप–वन संरक्षक (पश्चिमी)/वन

	बैंक मेट्रो स्टेशन और रेलवे लाइन के मध्य, सी. डब्लू, जी. ग्राम परिसर के निकट) पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई 19.52 हेक्टेयर भूमि पर किया जायेगा।			अधिकारी

(ख) 19520 पौधों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया जायेगा तथा उनका सात वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा तथा उनका सफलतापूर्वक स्थापना तक निगरानी की जाएगी:-

(i) 100 % (19520) पौधों का उपभोगी संस्था की ओर से पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा यमुना फ्लड प्लेन्स (यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन और रेलवे लाइन के मध्य, सी. डब्लू, जी. ग्राम परिसर के निकट) 19.52 हेक्टेयर भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण पत्र संख्या . F.32(03)/17/IL/3228 dated 19/04/2017 द्वारा प्रदान की गई भूमि पर किया जायेगा। ।

(ii) जहाँ भी संभव हो, सड़क के दोनों ओर उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

(ग) 1952 पेड़ों के काटे/ प्रत्यारोपण किए जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ी की नीलामी उपभोगी संस्था द्वारा की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि सरकार को राजस्व के रूप में उपभोगी संस्था द्वारा जमा की जाएगी।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पेड़ों की ऊपरी शाखांए (लोप्स एंड टॉप्स) की प्रजातियों की जलाऊ लकड़ी को काटे जाने के पश्चात प्राप्त जलाऊ लकड़ी मुफ्त में दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।

(ङ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकडियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

केशव चन्द्र, सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 20th September, 2017

F. No. 117/COT/WFD/16-17/4459-67.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of total 31.163 ha.(approx) as detailed below for construction of 8 lane of Section NH 44 from Mukarba Chowk to Delhi Border, New Delhi, from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed	Compensatory plantation required (No. of trees)
Construction of 8 lane of Section NH 44 from Mukarba Chowk to Delhi Border, New Delhi.	31.163 (approx)	1952	19520 (by West Forest Division)
	Total	1952	19520

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

(a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 11,12,64,000 /- (Rupees Eleven Crore Twelve Lakh Sixty Four Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows:

Project No.	Location of Compensatory Afforestation plantation	Number of saplings to be planted (Number of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1.	100% (19520) no. by the West Forest Division on behalf of User Agency i.e NHAI on 19.52 ha. Land allotted by DDA for 19520 saplings at Yamuna Flood Plains (in between Yamuna Bank Metro Station and Railway Line adjacent to CWG Village Complex).	19520	11,12,64,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer

a) The compensatory plantation as shown below will be raised and maintained for Seven years and monitored till its successful establishment:-

(i) 19520 Nos. by the West Forest Division on behalf of User Agency i.e NHAI on 19.52 ha. Land at Yamuna Flood Plains in between Yamuna Bank Metro Station and Railway Line adjacent to CWG Village Complex as allotted by DDA vide letter No. F.32(03)/17/IL/3228 dated 19/04/2017.

(ii) Plantation along the edge of ROW, wherever feasible, in addition to the above compensatory plantation will be done by User Agency.

b) The timber obtained from felling of 1952 trees shall be auctioned by the land owning agency and deposit the proceeds as revenue to the government.

c) The lops and tops obtained on removal of firewood species of trees shall be handed over by the National Highway Authority of India (NHAI) to the officials concerned of MCD for use in public crematoria of Delhi as firewood, free of cost.

d) Before shifting of wood if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West)

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

KESHAV CHANDRA, Secy. (Env. & Forests)

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.09.21 23:18:06 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.